

14/18/313

Number of registered cases regarding sale of liquor.

01/02/2024

14/18/313

12/02/2024

Sh. Bharat Bhushan Batra (Rohtak)

Will the Home Minister be pleased to state the following details regarding sale of liquor: -

- a) the district wise number of cases registered by the Government regarding sale of illicit and spurious liquor in the State from November, 2019 to January, 2024 togetherwith the details thereof;
- b) the district wise number of casualty have been caused due to sale of illicit and spurious liquor during the abovesaid time period togetherwith the details thereof;
- c) the action taken by the Government on the first information report registered in each district upon the sale of illicit and spurious liquor during the said time period in the State from January, 2014 togetherwith the present status thereof; and
- d) the action taken by the Government to prevent the abovesaid incidents so far togetherwith the details thereof?

Reply by Shri Anil Vij, Home Minister, Haryana.

Sir,

- a) It is, respectfully submitted that total 38cases have been registered by the Police department regarding sale of illicit and spurious liquor in the State from November, 2019 to January, 2024. District-wise detail of total FIRs registered is as under: -

| Sr. No. | District | Total FIRs registered (01.11.2019 to 31.01.2024) |
|----------------|-----------------|---|
| 1. | Gurugram | 00 |
| 2. | Faridabad | 04 |
| 3. | Panchkula | 00 |
| 4. | Sonipat | 17 |
| 5. | Ambala | 03 |
| 6. | Yamuna Nagar | 03 |
| 7. | Kurukshetra | 02 |
| 8. | Kaithal | 00 |
| 9. | Panipat | 06 |
| 10. | Karnal | 00 |
| 11. | Rohtak | 00 |
| 12. | Jhajjar | 00 |
| 13. | CharkhiDardri | 00 |
| 14. | Bhiwani | 03 |
| 15. | Hisar | 00 |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 16. | Jind | 00 |
| 17. | Hansi | 00 |
| 18. | Fatehabad | 00 |
| 19. | Sirsa | 00 |
| 20. | Dabwali | 00 |
| 21. | Rewari | 00 |
| 22. | Nuh | 00 |
| 23. | Palwal | 00 |
| 24. | Narnaul | 00 |
| 25. | GRP | 00 |
| Total | | 38 |

- b) 50 casualties in all have been reported due to sale of illicit and spurious liquor in the State during the abovesaid time period i.e. November, 2019 to January, 2024. District-wise detail of casualties is as under:-

| Sr. No. | Name of District | Total number of casualty |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1. | Faridabad | 05 |
| 2. | Sonipat | 15 |
| 3. | Ambala | 02 |
| 4. | Yamuna Nagar | 18 |
| 5. | Panipat | 10 |
| Total | | 50 |

- c) 42 cases in all have been registered regarding the sale of illicit and spurious liquor throughout Haryana during the said time period (01.01.2014 to 31.01.2024). In above-mentioned cases a total of 539 accused have been arrested. Chargesheets under section 173 Cr.P.C. have been put up before the Learned Courts in 38 cases, 01 case has been cancelled and 03 cases are under investigation.

- d) Police department alongwith the officers/officials of Excise department are conducting regular co-ordinated raids at all suspected places, whenever an information is received about the sale of illicit and spurious liquor. Strict legal action is being taken against the sellers and manufacturers of illicit and spurious liquor. Further, to strengthen the efforts of Police and to prevent such incidents, the Haryana State Enforcement Bureau has been established in July, 2023, Which is mandated inter alia, to further bolster Government's endeavours in this regard.

14/18/313

शराब बिक्री सम्बन्धी दर्ज मुकदमों की संख्या।

01/02/2024

12/02/2024

14/18/313

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक)

क्या गृहमंत्री शराब बिक्री के सम्बन्ध में निम्न विवरणों के बारे में बताने की कृपा करेंगे: -

- क) नवम्बर 2019 से जनवरी 2024 के दौरान सरकार के द्वारा राज्य में अवैध व नकली शराब की बिक्री के सम्बन्ध में जिला-वार दर्ज मुकदमों की संख्या व उनका विवरण;
- ख) उपरोक्त समयावधि के दौरान अवैध व नकली शराब की बिक्री के कारण जिला-वार हुई मौत व उनका विवरण;
- ग) जनवरी 2014 से प्रदेश में उक्त समयावधि के दौरान प्रत्येक जिला में अवैध व नकली शराब की बिक्री बारे दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही व उनकी वर्तमान स्थिति; तथा
- घ) उपरोक्त घटनाओं को रोकने के लिये अब तक सरकार द्वारा की गई कार्यवाही व उनका विवरण ?

श्री अनिल विज, गृहमंत्री, हरियाणा का जवाब।

महोदय,

- क) यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि नवम्बर 2019 से जनवरी 2024 के दौरान पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अवैध व नकली शराब की बिक्री के सम्बन्ध में कुल 38 मुकदमों दर्ज किये गये हैं। कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट का जिला-वार विवरण निम्न है: -

| क्र . .सं | जिले का नाम | कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (01.11.2019 से 31.01.2024) |
|--------------|-------------|--|
| | | नकली शराब |
| 1. | गुरुग्राम | 00 |
| 2. | फरीदाबाद | 04 |
| 3. | पंचकूला | 00 |
| 4. | सोनीपत | 17 |
| 5. | अम्बाला | 03 |
| 6. | यमुनानगर | 03 |
| 7. | कुरुक्षेत्र | 02 |
| 8. | कैथल | 00 |
| 9. | पानीपत | 06 |
| 10. | करनाल | 00 |
| 11. | रोहतक | 00 |
| 12. | झज्जर | 00 |
| 13. | चरखी दादरी | 00 |
| 14. | भिवानी | 03 |
| 15. | हिसार | 00 |
| 16. | जीन्द | 00 |
| 17. | हांसी | 00 |

| | | |
|----------------|--------------------|-----------|
| 18. | फतेहाबाद | 00 |
| 19. | सिरसा | 00 |
| 20. | डबवाली | 00 |
| 21. | रेवाड़ी | 00 |
| 22. | नूंह | 00 |
| 23. | पलवल | 00 |
| 24. | नारनौल | 00 |
| 25. | राजकीय रेलवे पुलिस | 00 |
| कुल योग | | 38 |

ख) उपरोक्त समयावधि यानि नवम्बर 2019 से जनवरी 2024 के दौरान अवैध व नकली शराब की बिक्री के कारण कुल 50 मौतें दर्ज की गई है, जिनका जिला-वार विवरण निम्न है: -

| क्र.स. | जिले का नाम | कुल मौत |
|----------------|-------------|-----------|
| 1. | फरीदाबाद | 05 |
| 2. | सोनीपत | 15 |
| 3. | अम्बाला | 02 |
| 4. | यमुनानगर | 18 |
| 5. | पानीपत | 10 |
| कुल योग | | 50 |

ग) प्रदेश में उपरोक्त समयावधि (01.01.14 से 31.01.24) के दौरान अवैध व नकली शराब की बिक्री के सम्बन्ध में कुल 42 मुकदमें दर्ज किये गये हैं। उपरोक्त वर्णित मुकदमों में कुल 539 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माननीय अदालत के समक्ष 38 मुकदमों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, 01 मुकदमा रद्द किया गया है तथा 03 मुकदमें अभी अनुसंधानाधीन हैं।

घ) जब कभी अवैध व नकली शराब की बिक्री के बारे में सूचना प्राप्त होती है, पुलिस विभाग द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलकर नियमित रूप से सभी संदिग्ध स्थानों पर समन्वित छापेमारी की जाती है। अवैध व नकली शराब के विक्रेताओं व उत्पादकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पुलिस के प्रयासों को सुदृढ़ करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये जुलाई, 2023 में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना की गई है कि इस संबंध में सरकार के प्रयासों को और सुदृढ़ करेगा।